बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

विज्ञप्ति सं०–PR 218/2025

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2025 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना।

एतत् द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2025 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार के पत्रांक–09/मु०–05/2025 (अंश) 473 दिनांक 01.09.2025 के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर–I (माध्यमिक) के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाये जाने वाले सभी विषयों तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर–II (उच्च माध्यमिक) के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढाये जाने वाले सभी विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2025 का आयोजन किया जाना है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत् है :–

1. **संरचना :**
   - क. पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे।
   - ख. प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।
   - ग. निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

2. **परीक्षा के विषय :**

माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर– I (माध्यमिक) के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाये जाने वाले सभी विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर–II (उच्च माध्यमिक) के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढाये जाने वाले सभी विषय जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

परिशिष्ट–1

पेपर–I (माध्यमिक)

क्र० सं०	विषय/ विषय समूह		शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक अर्हता
1.	सामान्य विषयः–	विषय कोड	विनिर्दिष्ट विषय/विषय समूह में कम से कम 50 प्रतिशत अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में (अथवा इसके समतुल्य) उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)। **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक/स्नातकोत्तर तथा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय–सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम–2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)। **अथवा** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय/विषय समूह में बी०ए०एड०/बी0 एससी0 एड0 की चार वर्षीय उपाधि।
	1. हिन्दी	101	
	2. उर्दू	102	
	3. बंगला	103	
	4. मैथिली	104	
	5. संस्कृत	105	
	6. अरबी	106	
	7. फारसी	107	
	8. भोजपुरी	108	
	9. अंग्रेजी	109	
	10. गणित	110	
	11. विज्ञान	111	
	12. सामाजिक विज्ञान	112	

Type yo

2.	शारीरिक शिक्षा	113	एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि। **अथवा** एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर–विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा ऐथलिटिक्स में सहभागिता। **अथवा** 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर–विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेलों प्रतियोगिताओं अथवा ऐथलिटिक्स में सहभागिता। **अथवा** प्रतिनियुक्त सेवारत अभ्यर्थी (अर्थात् प्रशिक्षित शारीरिक अध्यापक/कोच)– 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2009 के अनुसार कम से कम 03 वर्ष का अध्यापन अनुभव। **अथवा** 45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक। **अथवा** एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक। **अथवा** ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद/खेलों में स्कूल, अन्तर कॉलेजिएट में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 (10.12.2007 को अधिसूचित) के अनुसार एन०सी०सी० ('सी' प्रमाण पत्र) पास किया हो। **अथवा** शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अर्थात बी०पी०एड० पाठ्यक्रम (अथवा इसके समतुल्य) **अथवा** ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद/खेलों/ऐथलेटिक्स में राज्य/विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो। **अथवा** ऐसा स्नातक, जिसने अन्तर–कॉलेजिएट खेलकूद/खेल प्रतियोगिताओं में पहला, दूसरा अथवा तीसरा स्थान प्राप्त किया हो/ एन०सी०सी० ('सी' प्रमाण पत्र) का धारक हो अथवा जिसने जोखिमपूर्ण खेलकूद में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो। **अथवा** 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय–सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 के अनुसार खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रबंध, खेलकूद कोचिंग, योगा, ओलंपिक शिक्षा, खेलकूद पत्रकारिता आदि में एक वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित स्नातक। **तथा** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बी०पी०एड०) अथवा इसके समतुल्य।

Type your

3.	संगीत विषय	114	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक–उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
4	ललित कला विषय	115	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक–उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
5.	नृत्य विषय	116	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से नृत्य शिक्षा में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
6.	**विशेष विद्यालय अध्यापक** (क) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक– उपाधि **एवं** (ख) भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बी०एड० के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् के वैध सी०आर०आर० नं० धारित हो **या** बी०एड० के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट/डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बी०एड० के समकक्ष हो एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् के वैध सी०आर०आर० नं० धारित हो। **एवं** (ग) अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण। परन्तुकः– भारतीय पुनर्वास परिषद् के द्वारा अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए उक्त अर्हता को इस शर्त के साथ शिथिल रखा जायेगा कि संबंधित उम्मीदवार नियुक्ति के उपरांत उक्त प्रशिक्षणचर्या के निर्धारण की स्थिति में इसे प्रशिक्षणचर्या प्रारंभ होने की तिथि से 02 वर्ष के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रशिक्षणचर्या को पूर्ण करने हेतु यथा आवश्यक (अधिकतम 06 माह तक) सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। **नोटः– अभ्यर्थी अपने स्नातक में पठित विषय के अनुसार किसी भी एक विषय/विषय समूह का चयन कर सकते है।**		

(ii) विषय समूह :–

(क) गणित :–स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्प्यूटर साईंस/रसायन विज्ञान/सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर साईंस में बी0सी0ए0 की योग्यता को सम्मिलित माना जायेगा।

(ख) विज्ञान :–स्नातक स्तर पर जन्तु विज्ञान (प्राणी विज्ञान), वनस्पति विज्ञान एवं रसायनशास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत उपर्युक्त विषयों के अलावा Biotechnology/Microbiology को भी समाहित किया जाता है।

(ग) सामाजिक विज्ञान :–स्नातक स्तर पर सहायक विषय/प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र में से किसी दो विषय में उत्त्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जायेगा।

(घ) भाषा से संबंधित विषय :–माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा (ऑनर्स)/अनुषांगिक (सब्सीडियरी) विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है।

स्पष्टीकरण :

(i) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिन्दु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिन्दु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(ii) पेपर–I के तहत संगीत, नृत्य एवं ललित कला विषय के लिए अलग–अलग परीक्षा ली जाएगी।

(iii) शारीरिक शिक्षा के लिए केवल पेपर– I के तहत परीक्षा ली जाएगी, जिसके लिए अर्हत्ता का निर्धारण परिशिष्ट– I की कंडिका–2 में किया गया है।

परिशिष्ट–2

पेपर–II (उच्च माध्यमिक)

क्र॰ सं॰	विषय/विषय समूह		शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक अर्हता
	सामान्य विषय	विषय कोड	
1.	1. हिन्दी	201	विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)। **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) तथा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय–सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम–2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी0एड0)। **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बी0 ए0 एड0/बी0एससी0एड0। **अथवा** न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर तथा 03 वर्षीय एकीकृत बी0एड0–एम0एड0।
	2. उर्दू	202	
	3. अंग्रेजी	203	
	4. संस्कृत	204	
	5. बांगला	205	
	6. मैथिली	206	
	7. मगही	207	
	8. अरबी	208	
	9. फारसी	209	
	10. भोजपुरी	210	
	11. पाली	211	
	12. प्राकृत	212	
	13. गणित	213	
	14. भौतिक विज्ञान	214	
	15. रसायनशास्त्र	215	
	16. जन्तु विज्ञान	216	
	17. इतिहास	217	
	18. भूगोल	218	
	19. राजनीतिशास्त्र	219	
	20. समाजशास्त्र	220	
	21. अर्थशास्त्र	221	
	22. दर्शनशास्त्र	222	
	23. मनोविज्ञान	223	
	24. गृहविज्ञान	224	
	25. वनस्पति विज्ञान	229	

	वाणिज्य	225	वाणिज्य विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण। वणिज्य विषय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण उम्मीदवार वाणिज्य संकाय के तीनों विषयों यथा, EPS (उद्यमिता), Accountancy (लेखा शास्त्र) एवं Business Study (बिजनेश स्टडी) के लिए आवेदन कर सकेंगे। **तथा** सामान्य विषयों के लिए निर्धारित प्रशैक्षणिक अर्हता।
3.	कम्प्यूटर साईंस	226	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त उपाधि। डी0ओ0इ0ए0सी0सी0 से स्तर 'ए' एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए0आइ0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0ई0 (कम्प्यूटर साईंस/आई0टी0) या बी0टेक0 (कम्प्यूटर साईंस/आई0टी0) अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से डिग्री। **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए0आइ0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में बी0ई0 या बी0टेक0 की उपाधि तथा कम्प्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साईंस में स्नातकोत्तर/एम0सी0ए0 या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि। **अथवा** "किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में स्नातक/बी0सी0ए0 या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर" **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि **अथवा** डी0ओ0इ0ए0सी0सी0 से स्तर 'बी' एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोतर की उपाधि । **अथवा** सूचना एवं संचार प्राद्योगिकी मंत्रालय से डी0 ओ0 इ0 ए0 सी0 सी0 से स्तर ''सी'' किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। **अथवा** एम0 सी0 ए0 का तीन वर्षीय कोर्स (6 सेमेस्टर)। **नोटः–कम्प्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यार्थियों के लिए बी0 एड0 की योग्यता अनिवार्य नहीं है।**
4.	कृषि	227	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि/उद्यान में स्नातक तथा Agronomy/Plant Breeding & Genetics/Entomology/Plant Pathology/Seed Science & Technology/ Soil Science/ Horticulture में से किसी विषय में स्नातकोत्तर अर्हक योग्यता धारित करना आवश्यक होगा। नोटः– मान्यता प्राप्त संस्था के संदर्भ में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
5.	संगीत	228	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

Type your tex